फैक्स नं0. 0522–2286643
☎ नं0. 0522–2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 1.4-अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW – 226001

पत्र सं0: 6028 –मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2012– 21–मा0सं0प्र0–02/2011 दिनांकः 29, सितम्बर, 2012

## कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उ0प्र0 शासन की अनुरूपता में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कार्यरत महिला सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्यता की संशोधित/अतिरिक्त व्यवस्थायें लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0: जी–2–176/दस–2011–216–79, दिनांक 11.04.2011 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.09.2012 को सम्पन्न 152वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में शासनादेश सं0: जी–2–176/दस–2011–216–79, दिनांक11.04.2011 को अंगीकृत किया जाता है। तद्नुसार बाल्य देखभाल अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत निगमादेश सं0: 173–मा0सं0प्र0–02/उनिलि, दिनांक 19.04.2010 में निहित वर्तमान प्रभावी प्राविधानों में निम्नलिखित अतिरिक्त व्यवस्थायें/संशोधन प्राविधानित किये जाते हैं :–

I- सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा।

II- बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।

III- बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिए नहीं दिया जायेगा।

IV- बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश दिया जा रहा है, तो इस अवकाश की अवधि कम–से–कम हो।

V- बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।

2– निगमादेश सं0: 173–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2010–64–मा0सं0प्र0–02/2001(टी0सी0), दिनांक 19.04.2010 की व्यवस्थायें/प्राविधान उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3– उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

**संः 6028 –(1)–मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2012, तद्दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित कों सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।।

(2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

(3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

(4) मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II), अनपरा / ओबरा / पारीछा / हरदुआगंज / पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र) / ओबरा(सोनभद्र) / पारीछा(झाँसी) / कासिमपुर(अलीगढ) / पनकी(कानपुर)।

(5) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई / तापीय परिचालन, (मा0सं0) / (मा0सं0–02 / 03) / (कारपोरेट स्ट्रेटजी) / (ईंधन) / (सुरक्षा एवं पर्यावरण) / (जानपद) / (वाणिज्य) / (आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(6) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(7) महाप्रबन्धक (लेखा / सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(8) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(9) समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(10) अधीक्षण अभियन्ता(रिफार्म), कक्ष संः 906, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।

(11) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(12) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(13) समस्त उप सचिव / अधिशासी अभियन्ता / अनु सचिव / अनुभाग अधिकारी, मानव संसाधन इकाई, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(14) वरिष्ठ लेखा अधिकारी(प्रशासन) / लेखाधिकारी(वेतन एवं लेखा) / (पेंशन) / कार्मिक अधिकारी ,उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(15) कट फाइल ।

आज्ञा से,

**(विनय प्रकाश कटियार)**
उप महाप्रबन्धक(02)